पत्रांक–10 / स्था0 व्यय आवं0–23 / 2024–25 94/ʀ॥ रा0,

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,
रामगढ़, गोड्डा एवं सरायकेला–खरसावाँ।

राँची, दिनांक– 29-10-2024

विषयः– स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष–2052–सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघुशीर्ष–092 – अन्य कार्यालय, उपशीर्ष–04–भू–अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में व्यय हेतु कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹10,67,000/– (दस लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित शीर्ष के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में उपायुक्त, गोड्डा के पत्रांक–1315, दिनांक–17.10.2024, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, रामगढ़ के पत्रांक–1567, दिनांक–08.10.2024 तथा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावाँ के पत्रांक–724, दिनांक–14.10.2024 द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभिन्न इकाईयों में कार्यालयवार एवं इकाईवार कुल ₹10,67,000/– (दस लाख सड़सठ हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्न विवरणी के अनुसार दिया जाता है:–

क्र. सं.	जिला/इकाई का नाम	रामगढ़	गोड्डा	सरायकेला–खरसावाँ	कुल
		RGHLDR 035	GDDLDR 002	SKLDAD 069	
1	वेतन	0	382100	0	382100
2	संविदा भत्ता	265000	0	0	265000
3	देशीय यात्रा भत्ता	0	0	19900	19900
4	कार्यालय व्यय	200000	0	0	200000
5	कार्यालय उपकरण	100000	0	0	100000
6	मोटरगाड़ी, ईंधन एवं मरम्मति	100000	0	0	100000
	कुल	665000	382100	19900	1067000

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561/वि0(2) दिनांक–17.04.1998, 322/वि., दिनांक–28.01.2002, 1800/वि., दिनांक–15.07.2003 एवं 257/बजट, दिनांक–21.03.2024 के आलोक में दिया जा रहा है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

कृ0पृ0उ0

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित) के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की निकासी की जायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरूद्ध हुए व्यय की निकासी यथासंभव उसी माह/अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या–40 के अतिरिक्त विपत्र कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2025 तक अवश्य कर दिया जाय।

10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

28/X

(चन्द्रशेखर)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– 94/3110 राँची, दिनांक– 29-10-2024

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित उपायुक्त/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/X/XXIV

सरकार के सचिव।